न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 221/2016

1 घासीराम पुत्र हनुमान सिंह जाति माली निवासी जगदीशपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ निर्णय एवं डिक्री मु.नं. 176/2011 उनवानी सरकार बनाम घासीराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2015

उपस्थिति :

1. श्री मदन गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 10.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 176/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 07.06.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष दावा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 225 व 160 ग्राम जगदीशपुरा अवैध रूप से बजरी निकालकर भूमि पर गड्डे कर काश्त की भूमि स्वरूप बदल दिया है। जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस जारी किये। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में 09.06.2015 को नियत थी उस दिन पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के न्यायालय में स्टाम्प लगाकर 11.06.2015 की पेशी बदली गई। दिनांक 11.06.2015 को विचारण न्यायालय कैम्प कोर्ट बाघोली में रेस्पोडेन्ट का वादपत्र स्वीकार कर अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा .63 हैक्टेयर को राजकीय भूमि घोषित कर प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष श्री रामनिवास जी सैनी को अपना अभिभाषक नियुक्त किया था। पत्रावली दिनांक 21.12.2011 तारीख पेशी नियत की गई दिनांक 21.11.2011 व उसके बाद आगामी तारीख पेशीयों पर 12.08.2014 तक रकबा की स्टाम्प लगाकर तारीख पेशीयां बदली जाती रही इस दौरान वकीलों ने विचारण न्यायालय के यहां कार्य का बहिष्कार कर रखा था वकील साहब ने अपीलार्थी की भी न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी न वकील साहब ने अपीलार्थी को मुकदमें की किसी तारीख पेशी की सूचना दी। अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में विकास कर चाहता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इसलिये अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2016 को पटवारी हल्का से अनापत्ति पत्र की मांग की तब पटवारी हल्का ने बतालाया कि भूमि खसरा नम्बर 225 न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 11.06.2015 के तहत दिनांक 14.06.2015 को भूमि का नामान्तकरण कर राज्य सरकार के हक में कर दिया गया है उक्त भूमि में अपीलार्थीगण की खातेदारी नहीं होने से प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2016 को विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की मांग की जिस पर विचारण न्यायालय ने 27.07.2016 को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की प्रति दी दिनांक 28.07.2016 अपीलार्थी विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये विधिक सलाह ली जिस पर वकील साहब ने अपीलार्थी से चालु जमाबन्दी व तत्कालीन खसरा गिरदावरी की नकल मंगवाई। विचारण न्यायालय ने रिकार्ड के विपरित अपनी फाईडिंग दी है सन् 1911 सम्वत 2068–69 में आता है 2068, 69, 70, 71 की खसरा गिरदावरी में अपीलार्थी की बाजरा, सरसों, गेहुं की फसल काश्त दर्ज है। दिनांक 29.07.2016 को अपीलार्थी ने खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलार्थी को जानकारी हुई कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना खसरा नम्बर 225 राजकीय सिवायचक घोषित की जा चुकी है इसलिये जानकारी के तुरन्त बाद अपीलार्थी यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अपीलार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देकर अपील अन्दर मियाद समाहत फरमाई जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि ग्राम जगदीशपुरा की सरहद में स्थित भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी से ली गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 225 रकबा 0.63 हैक्टेयर में अवैध रूप से बजरी खनन कर गढ्ढे किये जाकर उबड़ खाबड़ कर रखा है तथा भूमि काश्त योग्य नहीं रह गई है तथा खसरा नम्बर नम्बर 160 रकबा 0.80 हैक्टेयर मौके पर समतल है तथा वर्तमान में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

फसल चरी आदि काश्त हो रखी है। नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 11.06.2015 के अनुसार ग्राम जगदीशपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.63 हैक्टेयर में अवैध रूप से बजरी खनन किया जाना साबित है तथा वर्तमान में भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है। रिपोर्ट नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के अनुसार वादपत्र की पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में न तो जवाबदेही की न ही साक्ष्य सबूत पेश किये। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई हैं। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट का कथन है कि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष श्री रामनिवास जी सैनी को अपना अभिभाषक नियुक्त किया था। पत्रावली दिनांक 21.12.2011 तारीख पेशी नियत की गई दिनांक 21.11.2011 व उसके बाद आगामी तारीख पेशीयों पर 12.08.2014 तक रकबा की स्टाम्प लगाकर तारीख पेशीयां बदली जाती रही इस दौरान वकीलों ने विचारण न्यायालय के यहां कार्य का बहिष्कार कर रखा था वकील साहब ने अपीलार्थी की भी न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी न वकील साहब ने अपीलार्थी को मुकदमें की किसी तारीख पेशी की सूचना दी। अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में विकास करना चाहता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

इसलिये अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2016 को पटवारी हल्का से अनापत्ति पत्र की मांग की तब पटवारी हल्का ने बतालाया कि भूमि खसरा नम्बर 225 न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 11.06.2015 के तहत दिनांक 14.06.2015 को भूमि का नामान्तकरण कर राज्य सरकार के हक में कर दिया गया है उक्त भूमि में अपीलार्थीगण की खातेदारी नहीं होने से प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2016 को विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की मांग की जिस पर विचारण न्यायालय ने 27.07.2016 को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की प्रति दी दिनांक 28.07.2016 अपीलार्थी विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये विधिक सलाह ली जिस पर वकील साहब ने अपीलार्थी से चालु जमाबन्दी व तत्कालीन खसरा गिरदावरी की नकल मंगवाई। विचारण न्यायालय ने रिकार्ड के विपरित अपनी फाईडिंग दी है सन् 1911 सम्वत 2068–69 में आता है 2068, 69, 70, 71 की खसरा गिरदावरी में अपीलार्थी की बाजरा, सरसों, गेहुं की फसल काश्त दर्ज है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)